न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्या:56/20 (जीसीएमएस नं. 2020/00004)

1. नैनूराम पुत्र स्व. श्री कानाराम,
2. तुलसीराम पुत्र स्व. श्री कानाराम,
3. बाबू लाल पुत्र स्व. श्री कानाराम,
4. श्रीमती प्रभाती देवी पत्नि स्व. श्री कानाराम, समस्त जाति माली, निवासी अमराका की ढाणी, जयसिंहपुरा खोर, तहसील व जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती बिरदी देवी पत्नि नारायण लाल पुत्री स्व. श्री भूरा जाति माली, निवासी नाथू का की ढाणी, तलाई वाली रोड़, ग्राम जयसिंहपुरा खोर तहसील व जिला जयपुर।
2. तहसीलदार जयपुर तहसील कार्यालय बनीपार्क, जयपुर।
3. ग्यारसी देवी पत्नी स्व. श्री रामू पुत्री भूरा, जाति माली, निवासी बोडिया वाला की ढाणी, ग्राम बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर राजास्थान।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 16.08.2021

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 31.10.2019 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहरहाते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक अपील नामान्तरकरण संख्या 909 दिनांक 27.09.2002 ग्राम जयसिंहपुरा खोर तहसील जयपुर के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दिनांक 31.10.2019 को उक्त नामान्तरकरण को निरस्त किया गया जिसकी अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट की अपील अधिनस्थ न्यायालया के समक्ष मियाद थी उसके बाजवूद भी अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत अपील में मियाद अधिनियम की धारा 5 पर किसी भी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नही करते हुए उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया जो अपास्त किये जाने योग्य है क्योंकि उक्त नामान्तरकरण की जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पूर्व में ही थी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नही रही है तथा उक्त नामान्तरकरण की जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 25.06.2017 को हो गई थी क्योकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विवादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 909 दिनांक 27.09.2002 में वर्णित खसरा नम्बरान 637, 643 लगायत 646, 879, 880, 886 कुल कता 8 कुल रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा ग्राम जयसिंहपुरा खोर पटवार हल्का जयसिंहपुरा खोर तहसील व जिला जयपुर बाबत एक घोषणा

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

व स्थायी निषेघाज्ञा का वाद संख्या 89/2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर के समक्ष दिनांक 19.09.2017 को प्रस्तुत किया गया था जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेजात जो कि अपने पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चला आ रहा था उसके पश्चात् अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण तस्दीक होने तक का रिकार्ड प्रस्तुत किया गया है जिससे साफ जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 25.06.2017 को हो गई थी लेकिन उक्त नामान्तरकरण को मियाद में लेने हेतु वाद कारण व प्रतिलिपि प्राप्त दिनांक 24.10.2017 को प्राप्त कर उक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील दिनांक 08.11.2017 को प्रस्तुत की गई है जो मियाद बाहर जाकर व तथ्यों की जानकारी को छुपाते हुये प्रसतुत की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर कोई स्पष्टीकरण उक्त आदेश में विवादित अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों में नही दिया गया इसलिये उक्त विवादित आदेश दिनांक 31.10.2019 अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है क अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 31.10.2019 के पैरा संख्या 8 में वर्णित है कि तहसीलदार जयपुर द्वारा राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा खोर के नामान्तरकरण संख्या 209 पर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2002 को अपास्त किया जाता है जिससे जाहिर होता है कि नामान्तरकरण संख्या 209 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त फरमाया गया है, नामान्तरकरण संख्या 909 पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नही की गई। उन्होने आगे कथन किया है कि विवादित नामान्तरकरण के सम्बन्ध मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें विवादित नामान्तरकरण संख्या 909 दिनांक 27.09.2002 ग्राम जयसिहपुरा खोर के विरूद्ध प्रस्तुत की गई जिसमें प्रार्थीगण को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 10.10.2017 को होना बताया गया है जिसके बाद अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष अपील दिनांक 09.11.2017 को पेश की गई जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक सिविल वाद बिरदीदेवी बनाम तुलसीराम जरिये मुख्तयार आम सूरजमल सैनी पुत्र स्व. श्री नारायण लाल जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का पुत्र है के द्वारा खसरा नम्बर 2091 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा ग्राम जयसिंहपुरा खोर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें वाद कारण दिनांक 08.07.2015 को उत्पन्न होना बताकर प्रस्तुत किया गया था जिससे जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त तमाम प्रोसिडिंग की जानकारी शुरू से ही रही है लेकिन नियम में खोट होने के कारण उक्त अपील प्रस्तुत की गई है जो खारिज योग्य थी।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि वादग्रस्त नामान्तरकरण से पूर्व विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में एक वाद गुल्लाराम बनाम काना वाद संख्या 5/1997 उपखण्ड अधिकारी जयपुर के समक्ष विचाराधीन है इसी प्रकार एक उनवानी प्रकरण बिरदी देवी बनाम बाबूलाल प्रकरण संख्या

5/2014 उपखण्ड अधिकारी जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है तथा एक वाद सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 1 जयपुर महानगर जयपुर के समक्ष मुकदमा संख्या 375/2015 दिनांक 28.08.2015 को प्रस्तुत किया गया था जो अदम हाजरी अदम पैरवी में दिनांक 15.04.2019 को खारिज फरमा दिया गया, उक्त दस्तावेजात अपीलार्थी द्वारा आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के तहत एक प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया गये है जिसे न्यायालय श्रीमान् द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर किया गया जिससे जाहिर होता है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सन् 2014 से ही उक्त नामान्तरकरण की जानकारी थी

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का उक्त विवादित नामान्तरकरण शुदा खसरा नम्बरान पर कभी भी कब्जा काश्त नही रही रहा है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का विवाह अपीलान्ट व उसके पिता द्वारा 30 वर्ष पूर्व ही कर दिया गया था जब से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने ससुराल में निवास कर रही है तथा रेस्पोडेन्ट व अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास होने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट की सहमति से ही उक्त नामान्तरकरण तस्दीक फरमाया गया था जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को शुरू से ही थी इसलिये उक्त आदेश दिनांक 31.01.2019 अपास्त फरमाये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2019 को अपास्त फरमाये जाने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि 10.10.2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को ज्ञात हुआ कि उसके भाई कल्याण की मृत्यु हो जाने पर कल्याण के हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण अकेले स्वर्गीय काना के नाम खुल गया इस पर प्रार्थीया द्वारा काफी तलाश कर स्वर्गीय काना के नाम खुले नामान्तरकरण की नकल लेने का प्रार्थना पत्र दिनांक 12.10.2017 को पेश किया तथा दिनांक 16.10.2017 को नकल लेने के पश्चात् दिनांक 17.10.2017 से 22.10.2017 तक दीपावली की छुट्टियां आ गयी, इस पर प्रार्थीया दिनांक 24.10.2017 को अपने वकील के पास गयी तो प्रार्थीया के वकील ने उक्त नामान्तरकरण की अपील पेश करने की राय दी इसके पश्चात् प्रार्थीया के पास पैसों की व्यवस्था नहीं हो सकी और दिनांक 07.11.2017 तक पैसों की व्यवस्था कर दिनांक 08.11.2017 को अपील तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष अपील पेश की गई है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि तहसीलदार एवं हल्का पटवारी को इस बात की पूरी जानकारी थी कि रेस्पोडेन्ट के पिता स्वर्गीय भूरा के दो पुत्र एवं दो पुत्रियां थी, दो पुत्रो का नाम काना एवं कल्याण है तथा दो पुत्रियों के नाम रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बिरदी देवी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ग्यारसी देवी है, उक्त तथ्य हल्का पटवारी एवं तहसीलदार

जयपुर की जानकारी में होने के बावजूद उक्त नामान्तरकरण कल्याण के फौत हो जाने पर अकेले काना के नाम से तस्दीक किया गया है, जो गलत है और अवैध है तथा निरस्तनीय है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि अधीनस्थ तहसीलदार ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नोटिस दिये बिना तथा बिना रेस्पोडेन्ट को सुने ही नामान्तरकरण तस्दीक किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय ही था। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट की पैतृक भूमि है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने पिता की भूमि में 1/4 हिस्सा है जिस पर वह कब्जा काश्त है किन्तु तहसीलदार ने बिना कब्जे की जॉच किये ही अपीलानाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया है जो विधि विरूद्ध है। उन्होने आगे कथन किया है कि जब रेस्पोडेन्ट को उक्त अवैध नामान्तरकरण की जानकारी हुई तो उन्होने जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है जिसे अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा प्रकरण का विधिक रूप से परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2019 पारित किया गया है जिसमें कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपील के तथ्यों को समर्थन करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील मियाद बाहर थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा 5 पर किसी भी प्रकार का काई स्पष्टीकरण नही करते हुये उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2019 पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है क्योंकि उक्त नामान्तरकण की जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 को शुरू से ही रही थी क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 का विवाह अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता द्वारा 30 वर्ष पूर्व ही कर दिया गया था तथा रेस्पोडेन्ट व अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास होने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 को उक्त नामान्तरकरण उनकी मौखिक सहमति के आधार पर अपीलान्ट के हक में नामान्तरकरण संख्या 909 दिनांक 27.09.2002 को तहरीर व तकमील किया गया है जिसके पश्चात् राजस्व खातेदारी में अपीलान्ट ने अपना नाम दर्ज करवाया गया लेकिन वर्तमान में उक्त भूमि की कीमत बढ़ने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की नियत में खोट आ जाने के कारण उकत वादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 90 दिनांक 27.09.2002 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को बिना सुने ही उक्त विवादग्रस्त आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि स्व. काना के तीन पुत्र व दो पुत्रियॉ बिरदी देवी व ग्यारसी देवी है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को पक्षकार नही बनाया गया जबकि प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 भी आवश्यक पक्षकार थी लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मनगढंत तथ्यों पर झूठे वाद कारण के आधार पर अपील अधीनस्थ न्यायालय

संभागीय आयुक्त जयपुर

के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो विधि विरूद्ध स्वीकार की गई है। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की लिखित बहस रिकार्ड पर लिया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2019 को निरस्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट और निर्विवाद है कि खातेदार भूरा के दो पुत्र काना व कल्याण व दो पुत्रीयॉ बिरदी व ग्यारसी थी लेकिन नामान्तरकरण संख्या 909 पर अंकित सजरा में भूरा के केवल दो पुत्रों काना व कल्याण को ही दर्शाया गया है जिसके आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है, जो विधि विरूद्ध ही था। यदपि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का कथन रहा है कि उक्त नामान्तरकरण मौखिक सहमति के आधार पर तस्दीक हुआ है लेकिन मौखिक सहमति का तथ्य नामान्तरकरण या अन्य कही भी अंकित नही है। ऐसी स्थिति में विवादित नामान्तरकरण संख्या 909 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निरस्तनीय ही था तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2019 द्वारा प्रकरण तहसीलदार जयपुर को पक्षकारान को सुनकर एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर तदानुसार नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित ही किया गया है ऐसे में पक्षकारान तहसीलदार के समक्ष अपना पक्ष रखकर अपने हक हकूक अधिकारों की चाराजाही कर सकते है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2019 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2019 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।